

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या : 2324 / 2015

Smt. Santosh and Others

Versus

Union of India

**12.5.2017**

**माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी**

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री दीपक गोयल ।

सुना गया ।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावें ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करें, जो पेश किए जाने पर चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जावें ।

**( महेन्द्र माहेश्वरी )**  
**न्यायाधिपति**